प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना (एस0सी0एस0पी0) हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-448/खा0ग्रा0बो0/गु0नि0प्र0/2017-18, दिनांक 25-09-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चिय योजना (एस.सी.एस.पी.) के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 4.00 लाख (रूपये चार लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-19/2017/412/59-2-2017-32(खा)/2009, दिनांक 21 जुलाई, 2017 द्वारा निर्गत की जा चुकी है तथा अवशेष धनराशि रू0 6.00 लाख (रूपये छः लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फॉट के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि शिविर का आयोजन प्रदेश के ऐसे जनपदों/तहसीलों/ब्लाकों में किया जायेगा, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों की जनसंख्या/आबादी 25 प्रतिशत से कम न हो।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन प्रत्येक सत्र में प्रवक्ता सहित समस्त प्रशिक्षार्थियों का तीन-तीन डिजिटल फोटोग्राफ, जिसमें समय एवं तिथि अंकित हो खिचवाकर संरक्षित किया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षार्थियों के मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर भी उल्लिखित किये जायेंगे।

(5) स्वीकृत धनराशि के व्यय का योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानकों व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय का नियमानुसार प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 के अनुसार प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों/अतिथि वार्ताकारों/अन्य हेतु जो दरें निर्धारित है, उन्ही का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उससे व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

(10) जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग/व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग होने की दशा में विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(11) स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही होगी। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होगें।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण-09-उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-32/2017/803(1)/59-2-2017-32(खा)/2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्तीय एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10- एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-32/2017/803/59-2-2017-32(खा)/2009, दिनांक 03 नवम्बर, 2017 का संलग्नक

उत्पाद विकास मानकीकरण योजना की बजट फॅाट

क्र0	मद विवरण	अनुमानित व्यय धनराशि (लाख रूपये में)
1	**2**	**3**
1	प्रौद्यौगिकी हस्तान्तरण कार्यशाला	0.75
2	पॉच दिवसीय गुणवता नियंत्रण में टेक्निकल ट्रेनिंग	3.50
3	उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम	1.75
	योग	**6.00**

(रूपये छः लाख मात्र)

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।